कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 941 /प्र.अ./विधि(स्टेनो)./लोस्वायांवि./2025 भोपाल, दिनांक 20/08/2025

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 5405/2025 (श्रीमति बिन्नू मल्लाह बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) जो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सतना के अधीनस्थ कार्यरत रहे, स्वर्गीय श्री रामकृपाल मल्लाह स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की पत्नि श्रीमति बिन्नू मल्लाह के द्वारा दायर की गई थी, में चाही गई अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्रीमति बिन्नू मल्लाह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क. 5405/2025 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :-

"(i) Issue a writ in the nature of Mandamus directing the respondent no.3 to decide the petitioner's pending application/ representation for compassionate appointment, as early as possible in the interest of Justice.

(ii) The petitioner be conferred the benefit of appointment on compassionate basis on the basis of her qualifications.

(iii) Issue any other writ, order or direction as this Hon'ble Court fit and proper in the interest of justice."

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 14.05.2025 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

4. After hearing learned counsel for the parties, the innocuous prayer made on behalf of the petitioner is hereby accepted with a direction to the petitioner to resubmit her representation to respondent 3-Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Satna within a period of 15 days and in turn, respondent 3 is directed to decide the representation of the petitioner within a further period of 90 days from the date of receipt of representation along with certified copy of the order passed by this Court today by passing a reasoned and speaking order.
5. If the petitioner is found entitled, she shall be given the requisite benefit in accordance with law.
6. It is also directed that the respondent 3 shall intimate the decision on representation to the petitioner.

O/C

7. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on merits and demerits of the case.
8. With the aforesaid, this writ petition is disposed off.
9. Misc. application(s), pending if any, shall stand closed.

(3) रिट याचिका क्रमांक 5405/2025 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2025 के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्रीमति बिन्नू मल्लाह द्वारा कार्यपालन यंत्री सतना के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 12.06.2025 प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है –

सेवा में,

श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सतना म.प्र.

विषयः– म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के रिट पिटीशन कं.5405 /2025 आदेश दिनांक 14.05.2025 के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने बावत। आवेदन पत्र।

मान्यवर,

निवेदन है कि प्रार्थिया के पति रामकृपाल मल्लाह निवासी कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. के निवासी थे और उन्होने के कार्यपालन यंत्री महोदय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सतना म.प्र. में 02.11.1988 से दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में व अर्धकुशल श्रेणी में स्थाई कर्मी के रूप में विनयमित रूप से होकर वेतनमान एवं मूल वेतन पर कार्यरत थे उनकी मृत्यु 10.01.2024 को कार्य करते हुए मृत्यु हो गई थी उनकी मृत्यु के बाद मुझे आवेदिका के द्वारा कई बार अनुकम्पा नियुक्ति पाने हेतु आवेदन पत्र दिये गये थे किन्तु श्रीमानजी के द्वारा आज दिनांक तक मुझ प्रार्थिया को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई जिससे प्रार्थिया को मजबूर होकर म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क. 5405–2025 दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट पिटीशन क. 5405–2025 आदेश दिनांक 14 मई 2025 को निर्देशित किया गया है कि 90 दिन के अंदर प्रार्थिया को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को सूचित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के तारतम्य में यह आवेदन पत्र दिया जाना न्यायोचित है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के रिट क्रमांक 5405/2025 आदेश

दिनांक 14.05.2025 के पालन में प्रार्थिया को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने की कृपा की जाए।

(4) रिट याचिका कमांक 5405/2025 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2025 के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्रीमति बिन्नू मल्लाह द्वारा रिट याचिका एवं उनके अभ्यावेदन दिनांक 05.12.2024 के माध्यम से चाही गई अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

(i) याचिकाकर्ता के मृतक पति के विनियमितिकरण एवं उन्हें स्थायी कर्मी का वेतनमान स्वीकृत करने संबंधी विवरण –

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूंबर 2016 के माध्यम से सभी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963 के अंतर्गत लाया गया है तथा उनके लिए **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** जारी की गयी है, जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में विभाजित कर श्रेणीवार वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सतना के आदेश कमांक 255 दिनांक 19..07.2017 एवं आदेश कमांक 141 दिनांक 31.05.2021 के माध्यम से स्वर्गीय श्री रामकृपाल मल्लाह, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थायीकर्मी अकुशल/अर्द्धकुशल श्रेणी का वेतनमान स्वीकृत किया गया था । स्वर्गीय श्री रामकृपाल मल्लाह दिनांक 01.09.2016 से स्थायी वर्गीकरण से संबंधित न्यूनतम वेतनमान स्वीकृत किये जाने तक स्थायीकर्मी (दैनिक वेतन भोगी श्रमिक) के रूप में कार्यरत रहे थे ।

(ii) याचिकाकर्ता के मृतक पति (स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक) के स्थायी वर्गीकरण और उससे सम्बंधित भुगतान का विवरण –

याचिकाकर्ता बिन्नू मल्लाह के पति स्वर्गीय श्री रामकृपाल मल्लाह, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को माननीय श्रम न्यायालय सतना द्वारा प्रकरण कमांक ए 74/एम.पी.आई.आर./2000 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2003 के माध्यम से म. प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963 के प्रावधान 2(vi) के तहत स्थायी वर्गीकृत किया गया था। प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल के आदेश कमांक 859 दिनांक 15.02.2023 के माध्यम से, माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (राम नरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 के अनुपालन में उन्हें स्थाई वर्गीकरण के दिनांक 01.12.1998 से दिनांक 31.10.2022 तक की अवधि की, कार्यभारित स्थापना के श्रमिक के पद के नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) के अनुसार वेतन अंतर की एरियर राशि की स्वीकृति जारी की गयी है ।

(iii) स्थायी वर्गीकृत किये जाने का आशय एवं उसके फलस्वरूप मिलने वाले लाभों का विवरण–

स्थायी वर्गीकृत किये गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को परिभाषित करने के लिए निम्नानुसार नियम प्रस्तुत है :–

(अ) ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रकिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित कर लिये जाते हैं, उन दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के नियम लागू नहीं होते है, इसलिए उन पर म. प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम 1961, नियम 1963, लागू होने से, अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थायी आदेश लागू होते है। म प्र औद्यौगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम–1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत बनाई गयी मानक स्तरीय आज्ञाओं के स्थायी आदेश क्रमांक–2 के तहत जब कोई दैनिक वेतन भोगी श्रमिक आदेश कमांक 2 (i) अथवा 2(vi) के अतंर्गत प्रावधानित शर्ते पूरी करता है तो वह स्थाई रूप में वर्गीकृत होता है। राज्य शासन के सभी उपक्रमों के लिए बनाई मानक स्तरीय आज्ञाओं के स्थायी आदेश कमांक 2 में कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं स्थाई कर्मचारी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–

2. Classification of Employees- Employees shall be classified as- (i) permanent, (ii) permanent seasonal (iii) probationers, (iv) Badlies, (v) apprentices, (vi) temporary, [and (vii)fixed term employment's employee:]

(i) A 'permanent' employee is one who has completed six months' satisfactory service in a clear vacancy in one or more posts whether as a probationer or otherwise, or a person whose name has been entered in the muster roll and who is given a ticket of permanent employee.

(vi) 'temporary employee' means an employee who has been employed for work which is essentially of a temporary character, or who is temporarily employed as an additional employees in connection with the temporary increase in the work of a permanent nature provided that in case such employee is required to work continuously for more than six months he shall be deemed to be permanent employee, within the meaning of clause(i) above.

(ब) उक्त अनुसार स्थाई रूप में वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को निम्नानुसार सुविधाएं विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त होती है:–

1. दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थाई आज्ञाओं के अन्तर्गत वर्ष में 3 राष्ट्रीय अवकाश, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, एवं 15 अगस्त एवं 5

सवैतनिक अवकाश एवं 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवकाश प्राप्त होते है।

2. दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को 7 दिन का आकस्मिक अवकाश प्राप्त होता है।

3. दैनिक वेतन भोगी श्रमिक जहॉ काम करते है यदि वहॉ कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधान लागु होते है तो उक्त श्रमिक को 20 दिन कार्य पर एक दिन का सवैतनिक अवकाश एवं अधिसमय कार्य करने पर अधिसमय कार्य हेतु दुगनी दर से भुगतान एवं अधिनियम के अन्तर्गत अन्य सुविधायें प्राप्त होती है।

4.यदि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की सेवाएं सेवा निवृत्ति के पूर्व समाप्त/छटनी की जाती है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत छटनी किये गये ऐसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25–एफ के अन्तर्गत सम्पूर्ण सेवा काल हेतु प्रत्येक वर्ष की सेवा पर भुगतान किये गये अंतिम वेतन अनुसार 15 दिन का छटनी मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

5.ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिनकी सेवाए 5 वर्ष अथवा उससे अधिक है उन्हें उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत उपदान देय होता है।

(स) म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्मित मानक स्थाई आदेश में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थाई वर्गीकृत किये जाने पर उसे क्या वेतन देय होगा, यह उक्त अधिनियम में प्रावधानित नहीं है। तत्समय दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता था।

मान. उच्चतम न्यायालय की अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 में स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को पद के ग्रेडेड वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) देने के आदेश दिए गए थे । उक्त न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन में विभागीय स्थाई वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उनकी उक्त स्टेटस अवधि का निर्णयानुसार भुगतान किया गया है ।

(iv) स्थायी वर्गीकरण से कर्मचारी का सेवा स्टेटस नहीं बदलता है –

कंडिका (ii) (अ) (ब) एवं (स) में किये गए उल्लेखानुसार दैनिक वेतन भोगी श्रमिक, स्थाई वर्गीकृत होने पर भी शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, उसे ऊपर वर्णित अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है तथा उसका स्टेटस दैनिक वेतन भोगी ही बना रहता है ।

उपरोक्तानुसार किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को स्थायी घोषित करने तथा उसके लाभस्वरूप उसे पद के नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन का भुगतान करने से, उसके सेवा स्टेटस में परिवर्तन होने की बजाय वह मात्र कुछ सुविधाओं और बढे हुए वेतन का पात्र बनता है। स्थायी वर्गीकरण कर्मचारी की तत्समय की सेवा स्थितियो/सेवा शर्तो पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तथा कर्मचारी निरंतर

रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ही बना रहता है। यह भी कि, किसी स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को पद के नियमित स्थापना/कार्यभारित स्थापना के वेतनमान का न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) स्वीकृत कर देने के उपरांत भी उसका बढ़ा हुआ वेतन, जो उसे आगे के सेवाकाल में देय होना है का आहरण, नियमित स्थापना /कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों के वेतन आहरण हेतु निर्धारित हेड से नहीं बल्कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन आहरण हेतु निर्धारित हेड – "12 मजदूरी" यानि 20–2215–01–001–9999–2714–V–12–001.से 008 तक ,से ही किया जाता है । निष्कर्षित है कि दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को स्थायी वर्गीकृत करना उसका किसी भी रूप में राज्य शासन की नियमित सेवाओं में नियमितीकरण नहीं है तथा ऐसा करने से वह किसी भी रूप में राज्य शासन द्वारा बनाये गए सेवा नियमो के आधीन नहीं आता है ।

(v) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक का स्थाई वर्गीकरण तथा उसका नियमित स्थापना में संविलियन जिसे नियमितीकरण कहा जाता है, दोनों ही बिलकुल अलग– अलग प्रक्रियाएं है तथा स्थाई वर्गीकरण का आशय किसी भी रूप में नियमितीकरण नहीं है –

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित निम्नलिखित न्यायदृष्टांतों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक का स्थाई वर्गीकरण तथा उसका नियमित स्थापना में संविलियन जिसे नियमितीकरण कहा जाता है, दोनों ही बिलकुल अलग– अलग प्रक्रियाएं है तथा किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को स्थायी घोषित करने का आशय उसके नियमितीकरण अथवा राज्य शासन के सेवा नियमो के अधीन आ जाने अथवा नियमित स्थापना का कर्मचारी बन जाने से नहीं निकाला जाना चाहिए। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि नियमितीकरण हेतु उस पद के लिए बनाये गए भर्ती नियम के अनुसार सभी योग्यताये और स्पष्ट रिक्ति के साथ ही, ऐसी भर्ती के लिए बनाई गई प्रक्रिया का भी पालन होना चाहिए । कुछ महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत निम्नानुसार है :–

(a) Civil Appeal No. 1270 of 2006 (Branch Manager, M.P. State Agro Industries Development Corpn. Ltd. & Another **v/s** Shri S.C. Pandey) Decided On, 24 February 2006

> 16. The Industrial Courts and High Court inter alia proceeded on the basis that the respondent having completed 240 days of service during the preceding 12 months, he should have been regularized in service. Section 25-B of the Industrial Disputes Act was also invoked on that premise. The Labour Court, however, wrongly equated classification with regularization. The term 'regularization' does not connote permanence.
>
> 17. The question raised in this appeal is now covered by a decision of this Court in M.P. Housing Board & Anr. v. Manoj Srivastava [Civil Appeal arising out of SLP (Civil) No. 27360/04 disposed of this date] wherein this Court clearly opined that: (1) when the conditions of service are governed by two statutes; one relating to selection and appointment and the other relating to the terms and conditions of service, an endeavour should be made to give effect to both of the statutes; (2) A daily wager does not hold a post as he is not appointed in terms of the provisions of the Act and Rules framed thereunder and in that view of the matter he does not derive any legal right; (3) Only because an employee had been working for more than 240 days that by itself would not confer any legal right upon him to be regularized in service; (4) If an appointment has been made contrary to the

provisions of the statute the same would be void and the effect thereof would be that no legal right was derived by the employee by reason thereof.

(b) Civil Appeal Nos.2417-2418 /2014 (Hari Nandan Prasad & Anr vs Employer I/R To Mangmt.Of F.C.I. &others) , Decided on 17 February, 2014

34. On harmonious reading of the two judgments discussed in detail above, we are of the opinion that when there are posts available, in the absence of any unfair labour practice the Labour Court would not give direction for regularization only because a worker has continued as daily wage worker/adhoc/temporary worker for number of years. Further, if there are no posts available, such a direction for regularization would be impermissible. In the aforesaid circumstances giving of direction to regularize such a person, only on the basis of number of years put in by such a worker as daily wager etc. may amount to backdoor entry into the service which is an anathema to Art.14 of the Constitution. Further, such a direction would not be given when the concerned worker does not meet the eligibility requirement of the post in question as per the Recruitment Rules. However, wherever it is found that similarly situated workmen are regularized by the employer itself under some scheme or otherwise and the workmen in question who have approached Industrial/Labour Court are at par with them, direction of regularization in such cases may be legally justified, otherwise, non-regularization of the left over workers itself would amount to invidious discrimination qua them in such cases and would be violative of Art.14 of the Constitution. Thus, the Industrial adjudicator would be achieving the equality by upholding Art. 14, rather than violating this constitutional provision.

(c) Civil Appeal No. 5632 /2006 (Punjab Water Supply & Sewerage Board vs Ranjodh Singh & Ors.) , Decided on 6 December, 2006

{See also State of Madhya Pradesh & Ors. vs. Yogesh Chandra Dubey & Ors. [(2006) 8 SCC 67)] and State of M.P. & Ors. vs. Lalit Kumar Verma [2006 (12) SCALE 642].} In the instant case, the High Court did not issue a writ of mandamus on arriving at a finding that the respondents had a legal right in relation to their claim for regularisation, which it was obligated to do. It proceeded to issue the directions only on the basis of the purported policy decision adopted by the State. It failed to notice that a policy decision cannot be adopted by means of a circular letter and, as noticed hereinbefore, even a policy decision adopted in terms of Article 162 of the Constitution of India in that behalf would be void. Any departmental letter or executive instruction cannot prevail over statutory rule and constitutional provisions. Any appointment, thus, made without following the procedure would be ultra vires.

राजेन

(d) Contempt petition (civil) No. 771/2015 (Ram Naresh Rawat & Ors V. Ashwini Rai & Ors.) ,Decided on 15 December, 2016.

> 21) It is, thus, somewhat puzzling as to whether the employee, on getting the designation of 'permanent employee' can be treated as 'regular' employee. This answer does not flow from the reading of the Standing Orders Act and Rules. In common parlance, normally, a person who is known as 'permanent employee' would be treated as a regular employee but it does not appear to be exactly that kind of situation in the instant case when we find that merely after completing six months' service an employee gets right to be treated as 'permanent employee'. Moreover, this Court has, as would be noticed now, drawn a distinction between 'permanent employee' and 'regular employee'.

(vi) नियमितीकरण हेतु दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के पक्ष में उसे नियमित /कार्यभारित स्थापना में नियुक्त किये जाने सम्बन्धी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश, जो विधिवत प्रारूप में हो, अनिवार्य है तथा याचिकाकर्ता के पास ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं है –

स्थायी वर्गीकृत/बिना स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के नियमितीकरण को परिभाषित करने के लिए निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है :–

> "जब किसी भी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को शासन द्वारा जारी किये गए परिपत्रो के माध्यम से घोषित नीति एवं उसमे उल्लेखित विहित प्रक्रिया का पालन करके, सक्षम अधिकारी द्वारा सभी निर्धारित शर्तो सहित जारी किये गए नियुक्ति आदेश के माध्यम से, शैक्षणिक योग्यता एवं शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार, विभाग में नियमित/ कार्यभारित स्थापना में उपलब्ध किसी स्पष्ट रिक्त पद के विरुद्ध, किसी स्वीकृत मूल पद पर पूर्णतः नवीन नियुक्त कर्मचारी की तरह नियुक्त किया जाता है, तब ही वह शासकीय कर्मचारी माना जाता है तथा वह उन सेवाओं हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित सेवा नियमो के अधीन आता है । उक्तानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण होता है।"

याचिकाकर्ता श्रीमति बिन्नू मल्लाह के पति स्वर्गीय श्री रामकृपाल मल्लाह दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के पक्ष में मुख्य अभियंता, जबलपुर द्वारा, उन्हें कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना में नियुक्त किये जाने सम्बन्धी कोई आदेश कभी भी जारी नहीं किया गया है और ना ही याचिकाकर्ता के पास मौजूद है ।

(vii) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अनुकंपा नियुक्ति से सम्बंधित पॉलिसी दिनांक 29.09.2014 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामलों में अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर उनके परिजनों को अनुदान राशि दिये जाने के प्रावधान है एवं पॉलिसी दिनांक 31.08.2016 मात्र कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों से सम्बंधित है–

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक सी 3–12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29.09.2014 के माध्यम से जारी की गई अनुकंपा नियुक्ति की पॉलिसी दिनांक 29.09.2014 की कण्डिका

11.1 के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (चाहे वे विनियमित स्थायी कर्मी अथवा स्थायी वर्गीकृत हों) के मामलों में अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर उनके परिजनों को रूपये 2.00 लाख की अनुदान राशि दिये जाने के प्रावधान है। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सतना के आदेश कमांक 86 दिनांक 03.07.2024 के माध्यम से उनकी नॉमिनी पत्नि श्रीमति बिन्नू मल्लाह को मृत्यु सह अनुकंपा राशि रूपये दो लाख का भुगतान किया जा चुका है। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र कमांक सी 5–1/2016/1/3 भोपाल दिनांक 31.08.2016 मात्र कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों से सम्बंधित है । उपरोक्तानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (चाहे वे विनियमित स्थायी कर्मी अथवा स्थायी वर्गीकृत हों) की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) **उपरोक्तानुसार कंडिका (4) की विवेचना के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पति स्व. श्री रामकृपाल मल्लाह विनियमित स्थायी कर्मी /स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे ना कि नियमित स्थापना/कार्यभारित स्थापना के शासकीय कर्मचारी। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अनुकंपा नियुक्ति पॉलिसी दिनांक 29.09.2014 एवं दिनांक 31.08.2016 के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं है ।**

(6) उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता श्रीमति बिन्नू मल्लाह पत्नि स्वर्गीय श्री रामकृपाल मल्लाह, द्वारा रिट याचिका कमांक 5405/2025 एवं अभ्यावेदन दिनांक 05.12.2024 के माध्यम से प्रस्तुत अनुकंपा नियुक्ति सम्बन्धी दावा, उनके पति स्व श्री रामकृपाल मल्लाह के स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होने एवं अनुकंपा नियुक्ति पालिसी दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं दिनांक 31.08.2016 में दैनिक वेतन भोगी (चाहे स्थायी वर्गीकृत हों अथवा नहीं) के आश्रितों हेतु अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान नहीं होने के आधार पर, सम्पूर्ण विचारोपरांत खारिज किया जाता है।

(7) यदि याचिकाकर्ता श्रीमति बिन्नू मल्लाह इस निराकरण से असंतुष्ट हों तो वे अपनी अपील 02 माह के भीतर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

19/8

प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 6989 **/प्र.अ.(विधि)/लोस्वायांवि./2025** **भोपाल, दिनांक** 21/8/25

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(2) अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(3) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(4) श्रीमति बिन्नू मल्लाह पत्नि स्वर्गीय श्री रामकृपाल मल्लाह, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सतना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Speed Post

19/8

प्रमुख अभियंता